





CENTRAL WAREHOUSING CORPORATION

(A Govt. of India Undertaking) जन-जन के लिए भण्डारण/Warehousingfor Everyone



Date: 25.10.2023

CWC/TQC- Gunnies/FCI/ 2023-24

परिपत्र / Circular

बोरियों की खरीद, वितरण और उपभोग के लिए मानक संचालन प्रक्रिया

Standard Operating Procedure for Purchase, Distribution & Consumption of Gunnies

विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा भारतीय खादध्य निगम से गेंह् तथा चावल के स्टॉक की आवक, भंडारण तथा जावक के दौरान बिखरने वाले अनाज को एकत्रित कर भरने के लिए खाली बोरे प्रदान करना बंद कर दिया गया है। एफसीआई मुख्यालय ने पत्र संख्या ई4(5)/2001/भंडारण-VII(भाग फ़ाइल)/1563 दिनांक:22.04.2014 के माध्यम से जीएम (आर), एफसीआई, आरओ, चंडीगढ़ को निर्देश दिया कि सीडब्ल्यूसी/पीएसडब्ल्यूसी गोदाम में भंडारित एफसीआई स्टॉक के संबंध में बोरियों का कोई प्रतिस्थापन नहीं किया जाए क्योंकि भंडारण एजेंसी के गोदाम किराए के भुगतान में बोरियों के प्रतिस्थापन की लागत का तत्व शामिल है।

In various regions Food Corporation of India has stopped providing gunnies to fill up spillage occurred at the time of receipt, storage and delivery of the stock. FCI HQ vide letter No. E4(5)/2001/Storage-VII (Part file)/1563 dated:22.04.2014 instructed GM(R), FCI, RO, Chandigarh that no replacement of gunnies in respect of FCI stocks stored in CWC/PSWC godown may be allowed as the element of Cost of replacement of gunnies is included in payment of godown rent to the storing agency.

इसके अलावा, एफसीआई मुख्यालय ने पत्र क्रमांक E.4(222)/Stg.IV/PEG स्टेटस/2012/Vol.I/1176/ दिनांक 11.06.2015 के माध्यम से 25.05.2015 को आयोजित 43वीं एचएलसी बैठक में निर्णय के आधार पर परिपत्र जारी किया जिसमें यह निर्णय लिया गया कि: "एफसीआई रेलहेड/गुडशेड पर प्राप्त/अनलोड किए गए कटे और फटे हुए गनी के प्रतिस्थापन और पल्ला के संग्रह के लिए एसएचएस/एक बार उपयोग की गई गन्नियों की आपूर्ति केवल सीडब्ल्यूसी/एसडब्ल्यूसी/राज्य एजेंसियों को स्टॉक संभालने के समय कर सकता है। पल्ला के प्रतिस्थापन और संग्रहण के लिए उपयोग की जाने वाली बोरी को रेलवे स्टेशन पर प्रतिनियुक्त आईसीसीएस द्वारा प्रमाणित करना होगा। हालाँकि, जहाँ तक गोदाम/गोदाम में स्टॉक के प्रबंधन के दौरान बोरियों की आपूर्ति का सवाल है, एजेंसियों द्वारा वहन किया जाएगा क्योंकि यह गोदाम संचालन का हिस्सा है।

Further, FCI HQ vide letter No. E.4(222)/Stg.IV/PEG Status/2012/Vol.I/1176/ dated 11.06.2015 issued circular based on the decision in the 43rd HLC meeting held on 25.05.2015 wherein it was decided that: "FCI may supply SHS/once used gunnies for the collection of palla and replacement of cut and torn gunny received/unloaded at railhead/goodshed, only at the time of handling over of stock to CWC/SWC/State agencies. The gunny used for replacement and collection of palla will have to be certified by the ICCS deputed at the railhead. However as far

as the supply of gunnies during the handling of stocks in the godown/warehouse shall be borne by agencies as it is part and parcel of godown operations."

मूलता इन खाली बोरों का प्रयोग विभिन्न केन्द्रीय भंडार गृहो द्वारा दो प्रकार से किया जाता है |

Basically, these empty sacks are used in two ways by various Central Warehouses.

1.स्टॉक की आवक , भंडारण तथा जावक के दौरान बिखरने वाले अनाज को एकत्र करके भरने के लिए।

To collect and replenish grains scattered during inward, storage and outward movement of stock.

2. अनाज से भरे बोरे क्षति ग्रस्त होने पर क्षतिग्रस्त बोरों के स्थापन्न के तौर पर।

As a replacement for damaged sacks when grain sacks are damaged.

यहाँ यह तथ्य उल्लेखनीय है कि भारतीय खाद्ध्य निगम द्वारा स्थानापन्न तथा स्पिलेज के लिए खाली बोरे प्रदान करने से मना कर दिया गया है | ऊपर दिये गए बिन्दु संख्या एक के विषय में भारतीय खादध्य निगम द्वारा किसी भी प्रकार का दिशा निर्देश जारी नहीं किया गया है | क्षेत्रीय कार्यालय स्तर से इस बिन्दु को भारतीय खाद्ध्य निगम के समक्ष उठाय गया होगा | यह भी देखने में आया है कि कुछ क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा स्वयं खाली बोरों की खरीद करके उनका प्रयोग किया जा रहा है | परंतु इस व्यवस्था के भंडारगृह स्तर तक विकेंद्रीकरण से बोरों की खरीद में बांछित पारदर्शिता की कमी प्रतीत होती है | खाली बोरों की आपूर्ति तथा प्रयोग में पारदर्शिता लाने के लिए निम्नलिखित बिन्दुओं का ध्यान रखना आवश्यक है |

It is noteworthy to mention here that the Food Corporation of India has refused to provide empty gunnies for replacement and spillage collection. Regarding point number one given above, no guidelines have been issued by the Food Corporation of India. At the regional office level, this issue would most likely have been raised with the Food Corporation of India. It has also been gathered that some regional offices are purchasing empty gunnies themselves and using them. But due to decentralization of this system till the warehouse level, there seems to be a lack of desired transparency in the purchase of empty gunnies. In order to maintain transparency in the supply and consumption of the gunnies following points must be kept in mind.

क्र.सं./ S.No.	अवयव / Attribute	विवरण/ Detail
1.	दायरा/ Scope	भारतीय खाद्ध्य निगम की यह प्रतिबद्धता थी कि वह अपने स्टॉक के उचित प्रबंधन के लिए खाली बोरे प्रदान करे जिससे आवश्यकतानुसार उनका प्रयोग भारतीय खाद्ध्य निगम के स्टोक को सही अवस्था में रखने के लिए किया जा सके कुछ क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा यह संज्ञान में लाया गया कि भारतीय खाद्ध्य निगम द्वारा या तो खाली बोरों की आपूर्ति बंद कर दी गयी है और यदि की भी जा रही है तो उनके मूल्य की मनमाने तौर पर कटौती की जा रही है It was the commitment of Food Corporation of India to provide empty sacks for proper management of its stock so that they can be used as per requirement to keep the stock in proper condition. It has been brought to the notice by some regional offices that the supply of empty gunnies has either been

		stopped by the Food Corporation of India and even if it is being supplied, their price is being arbitrarily deducted.
2.	कारण/ Reason	यह भी संज्ञान में आया है कि कुछ क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा खाली बोरों की खरीद की जा रही है तथा इस खरीद को भंडारगृह स्तर तक विकेन्द्रीयकृत कर दिया गया है इस प्रक्रिया में पारदर्शिता का आभाव है जिससे विभिन्न प्रकार की समस्याएं पैदा हो रही है अतः इस प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने की आवश्यकता है It has also come to notice that empty gunnies are being purchased by some regional offices and this procurement has been decentralized up to the warehouse level. There is a lack of transparency in this process due to which various types of problems are arising. Therefore, there is a need to make this process transparent.
3.	बोरियों की व्यवस्था/ Arrangement of gunnies	यह निर्णय लिया गया है कि बारदानों की खरीदी के संबंध में, संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय निर्णय लेंगे तथा आवश्यकता के अनुसार खाली बारों की खरीद सम्बंधित क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा स्वयं करके उनकी आपूर्ति आवश्यकतानुसार भंडारगृहों को की जाए It has been decided that regarding the purchase of gunny bags, the concerned regional offices will take the decision and as per the requirement, the empty gunny bags will be procured by the concerned regional office itself and supplied to the warehouses as per the requirement.
4.	बोरों की खरीद / Purchase of gunnies	बारदानों का क्रय, संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा GeM पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा। वार्षिक रेट कांट्रैक्ट एक सुविधाजनक विकल्प हैं। Gunnies will be purchased by concerned Regional Office through GeM Portal. Annual rate contract may be a suitable option.
5.	बोरियों की गुणवत्ता /Quality of Gunnies	50 किलोग्राम क्षमता की 'बी' श्रेणी की बोरियां (जूट) एफसीआई विनिर्देश के अनुसार खरीदी जाएंगी। "B" class gunnies (jute) of 50 kg capacity will be purchased in accordance with FCI specification.

6.	बोरियों का वितरण / Distribution of gunnies	संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा जरूरतमंद भंडारगृहों को उनकी आवश्यकता के अनुसार बोरियां वितरित की जाएंगी और इसका उचित लेखा-जोखा भंडारगृह के साथ-साथ डब्ल्यूएमएस में क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर भी रखा जाएगा। Gunnies will be supplied among the needy warehouses by concerned Regional Offices as per their requirement and proper accounting of the same will be maintained at the warehouse as well as the Regional Office level in WMS.
7.	बोरियों की खपत / Consumption of Gunnies	"B" क्लास खाली बोरों का प्रयोग भारतीय खादध्य निगम के स्टॉक के लिए भंडार गृह द्वारा आवश्यकतानुसार किया जाएगा गनीज का लेखा जोखा भंडार गृह प्रबन्धक द्वारा पूर्ण संजीदगी से रखा जाएगा Supplied 'B' class gunnies will be used by the warehouses strictly as per need for FCI stock. If the gunnies are being used for collection of spillage or replacement, the detail of gunnies issued, consumed and made up bags created will be accounted properly on the same day.
8.	"सी" श्रेणी की बोरियों का निपटान Disposal of "C" Class Gunnies	स्थानापन्न प्रक्रिया से प्राप्त अनुपयोगी 'सी ''श्रेणी की बोरियों की नीलामी मौजूदा डेड स्टॉक नीलामी प्रक्रिया के अनुसार की जाएगी। "C" Class gunnies shall be auctioned as per the existing Dead stock auction procedure.

टिप्पणी/ NOTE:

1. क्षेत्रीय कार्यालय किसी भी warehouse को स्थानीय बाजार से बोरियां खरीदने की अनुमित देने के लिए स्वतंत्र नहीं होंगे।

Regional offices will not be free to allow any warehouse to purchase gunny bags from the local market.

2. यह व्यवस्था दिनांक 01-11-2023 से प्रभावी होगी |

This arrangement will be effective from 01-11-2023.

3. किसी भी क्षेत्रीय कार्यालय अथवा क्षेत्रीय कार्यालय कि अनुमित से भंडारगृहों द्वारा पूर्व में ख़रीदे गए बोरों की सम्बंधित क्षेत्रीय कार्यालय पूर्ण एकाउंटिंग कर उन्हें दस्तावेजीकृत करे , तदोपरांत ही इन बोरों का प्रयोग किया जाए | इन दिशा निर्देशों की निर्गमन तिथि से किसी भी भंडारगृह को खाली बोरे खरीदने की अनुमित न दी जाए | क्षेत्रीय कार्यालय , अपने अधीनस्थ केन्द्रों पर उपस्थित खाली बोरों की जानकारी निगमित कार्यालय को भेजें | क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा खाली बोरों की खरीद एवं आपूर्ति अपने अधीनस्थ केन्द्रों पर भंडारित भारतीय खाद्ध्य निगम के स्टॉक के अनुसार इस प्रकार से की जाय कि 3 (तीन) माह की आवश्यकता के अनुसार केंद्र पर खाली बोरे उपलब्ध हों |

The gunnies previously purchased by warehouses with the permission of regional office or by regional office, should be fully accounted for and documented by the concerned regional office, only then these gunnies should be used. From the date of issue of these guidelines, no warehouse

should be allowed to purchase gunnies. Regional Offices should send information about gunnies present at their centers to the corporate office. The Regional Office should purchase and supply gunnies as per the requirement for the stock of Food Corporation of India stored at its centers in such a way that gunnies are available at the center as per the requirement of 3 (three) months.

4.केन्द्रों पर replacementसे प्राप्त क्षतिग्रस्त बोरों की प्रॉपर एकाउंटिंग सुनिश्चित की जाय तथा मासिक रूप से केंद्र क्षेत्रीय कार्यालय को यह जानकारी देंगे | क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा खाली बोरों की आवश्यकता , खरीद ,आपूर्ति तथा उनके प्रयोग की सघन निगरानी की जाएगी।

Proper accounting of damaged gunnies received through replacement should be ensured at the centers and the centers will give this information to the Regional Office on a monthly basis. Regional offices will ensure proper monitoring of requirement, purchase and use of gunnies.

> Dr. Anurag Tripathi General Manager (Tech)

For necessary action to,

- 1.All the Regional Managers, Regional Offices, Central Warehousing Corporation.
- 2. The Group General Manager (Fin), Central Warehousing Corporation, Corporate Office, New Delhi.
- 3. The Group General Manager (Com), Central Warehousing Corporation, Corporate Office, New Delhi.

Copy to,

The PS to MD, Central Warehousing Corporation, Corporate Office, New Delhi.